न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 127/2022 **GCMS 2022/259**

प्रार्थीगण

1. हीराराम पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी लिखमासर, तहसील कुचामनसिटी, जिला नागौर, राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र बाबत नक्शा ट्रेस दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 129, 130, 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री भीकमचन्द कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक 31-8-2023

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम लिखमासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 751 रकबा 1.22 हैक्टर जो प्रार्थी के कब्जा काश्त खातेदारी की चली आ रही है। ग्राम उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 550 की उत्तरी तरफ में खसरा नम्बर 1100/550 रास्ता कायम किया हुआ है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए उपधारा (2) के तहत कायम किया हुआ है जो कि खसरा नम्बर 550 की उतरी तरफ व जिसके खसरा नम्बर 1100/550 दर्ज हो गए व मौके पर रास्ता दर्ज कर चालू हो गया है, पूर्व में चालू रास्ता जो कि वर्तमान खसरा नम्बर मे भी चालू है जिसके सेग्रीगेशन के दौरान खसरा नम्बर 550 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व मे राजस्व रिकार्ड दर्ज रास्ते को राजस्व रेकार्ड में नक्शा तरमीम करते समय सेग्रीगेशन में हटा दिया गया जबकि ऑन–लाईन करने से पूर्व में रास्ता पटवारी द्वारा दिनॉक 24.04.2013 को जारी नक्शे में रास्ता तरमीम किया हुआ नकल जारी की गई है जो कि बतौर सादिर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई है, प्रार्थी अपनी भूमि में आने जाने हेतु पूर्व में कायम रास्ते को तरमीम दुरूस्ती की जाकर दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है जिसका प्रार्थी हकदार है इसलिए प्रार्थना–पत्र नक्शा दुरूस्ती का लाना आवश्यक हुआ है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम लिखमासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 751 [illegible] जाने हेतु ग्राम आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित [illegible] में उत्तरी सीमा पर पूर्व में जारी नक्शा तरमीम दिनॉक 24.04.2013 के अनुसार [illegible] में ही रखा है उसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाकर नक्शा दुरूस्ती [illegible] किया जाने का आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से अपने पत्रांक / रीडर / 2022 / 515 दिनॉक 10.10.22 के साथ पटवारी हल्का उगरपुरा द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनॉक 05.08.2022 प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

मौका रिपोर्ट 05.08.2022 अनुसार खसरा नम्बर 550 रकबा 9.1550 हैक्टर की खातेदारी रामेश्वरी देवी पत्नि नाथूराम वगैरह की सहखातेदारी में व खसरा नम्बर 1100 / 550 रकबा 0.0550 हैक्टर राजकीय खाते में गै.मु.रास्ता दर्ज रिकार्ड है, मौके की स्थिति का नजरी नक्शा निम्नवत बताया है :–

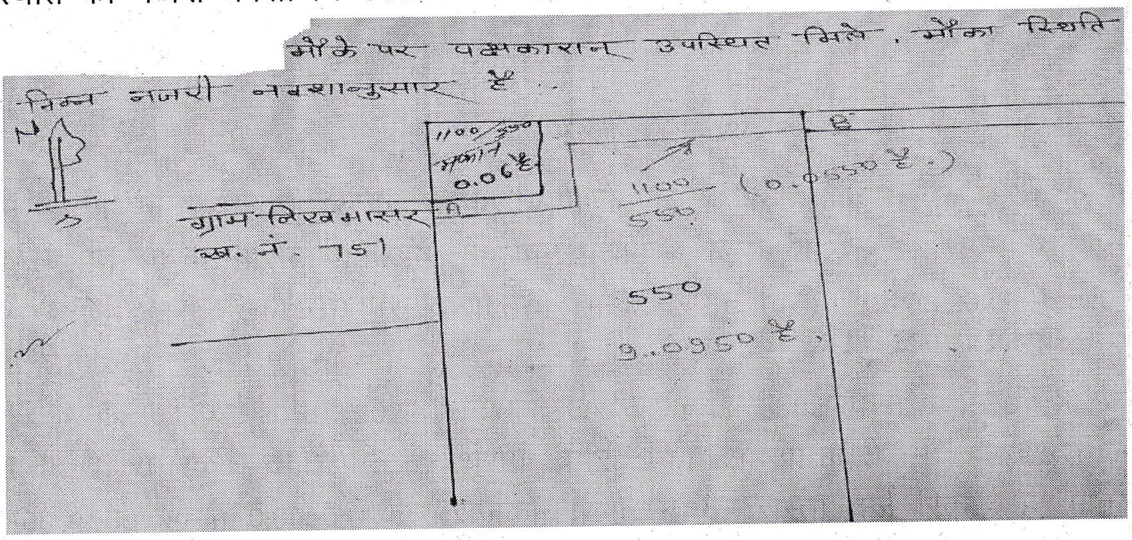

उपरोक्तानुसार बिन्दू सं. A से B तक माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां द्वारा धारा 251 ए के तहत (मु. नं. 112 / 12 निर्णय 25.03.2013) प्रार्थी हीराराम को ग्राम लिखमासर के खसरा नम्बर 751 में आने–जाने हेतु ग्राम आसनपुरा के खसरा नम्बर 550 में से रकबा 0.0550 हैक्टर गै.मु.रास्ता दर्ज करने बाबत आदेशित किया था, ग्राम आसनपुरा के नामा.सं. 253 निर्णय दिनॉक 17.04.2013 के द्वारा प्राप्त आदेश की पालना में की गई थी, न्यायालय आदेश में खसरा नम्बर 550 के उत्तरी पश्चिमी कोने में अप्रार्थी का मकान होना दर्शाया गया है तथा मकान के सामने से होते हुए रास्ता कायम करने बाबत आदेशित किया गया था, इस प्रकार नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त खसरा नम्बर 550 के नम्बर (मूल नम्बर, रास्ते के नम्बर व मकान के स्थान के नम्बर) कायम किये जाने थे लेकिन सहवन से दो ही खसरा नम्बर कायम किये गये, नामान्तरकरण अनुसार ही नक्शा लठ्ठा व ऑनलाईन नक्शे में तरमीम कर दी गई है। मौका स्थिति व माननीय न्यायालय आदेशानुसार बिन्दू A से B गै.मु.रास्ता रकबा 0.0550 हैक्टर खसरा नम्बर 550 के उत्तरी–पश्चिमी कोने (मकान का स्थान) का रकबा 0.06 हैक्टर व शेष खसरा नम्बर 550 का रकबा 9.0950 हैक्टर कायम करते हुए तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:18 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। राज पैरोकार को सुना गया। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा राज पैरोकार ने प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार दुरूस्ति किया जाना उचित बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण गलत तरमीम से संबंधित है जो उपखण्ड अधिकारी नावां के प्रकरण 251 ए के तहत दिये गये आदेश अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की जानी थी, जिसको वर्तमान मौका रिपोर्ट में पटवारी ने कथन किया है कि उपरोक्त रास्ते की भूमि, मूल खसरा नम्बर एवं रास्ते के नम्बर तीनो ही अलग–अलग दर्ज होने चाहिए थे, परन्तु सहवन से मकान के पृथक नम्बर दर्ज नही हुये है अतः ग्राम आसनपुरा के खसरा नम्बर 550 रकबा 9.1550 हैक्टर मे से मकान का रकबा 0.06 हैक्टर कम करते हुए नये खसरा नम्बर अंकित कर रास्ते की तरमीम बिन्दू A से B गै.मु.रास्ता रकबा 0.0550 हैक्टर, खसरा नम्बर 550 के उत्तरी–पश्चिमी कोने (मकान का स्थान) का रकबा 0.06 हैक्टर व शेष खसरा नम्बर 550 का रकबा 9.0950 हैक्टर कायम करते हुए तरमीम शुद्व किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित होने से स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम आसनपुरा के खसरा नम्बर 550 रकबा 9.1550 हैक्टर मे से मकान का रकबा 0.06 हैक्टर कम करते हुए नये खसरा नम्बर अंकित कर रास्ते की तरमीम बिन्दू A से B गै.मु.रास्ता रकबा 0.0550 हैक्टर, खसरा नम्बर 550 के उत्तरी–पश्चिमी कोने (मकान का स्थान) का रकबा 0.06 हैक्टर व शेष खसरा नम्बर 550 का रकबा 9.0950 हैक्टर कायम करते हुए तरमीम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनॉक 05.08.2022 आदेश का भाग रहेगी। उपरोक्तानुसार तहसीलदार कुचामनसिटी मौका रिपोर्ट एवं उसमे दर्शित नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसीलदार कुचमनसिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 31/8/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:18 IST
Reason: SelfAttested

श्री प्रिन्ट 13/10/2022

कार्यालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर

क्रमांक : रीडर / 2022 / 515 दिनांक : 13/10/22

प्रेषिति :

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
कुचामन सिटी।

विषय :– माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, कुचामन सिटी में विचाराधीन मु.नं. 127 / 22 हिराराम बनाम राज. सरकार में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, कुचामन सिटी में विचाराधीन मु.नं. 127 / 22 हिराराम बनाम राज. सरकार में पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट ली जाकर मूल ही श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्न :– मूल मौका रिपोर्ट।

(कुलदीप)
तहसीलदार कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:18 IST
Reason: SelfAttested

मौका - फर्द

आज दिनांक 25/08/2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब कुचामन सिटी के आदेश क्रमांक / रीडर / 2022 / 417 दि. 02/08/2022 की पालना में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, कुचामन सिटी में विचाराधीन मु. नं. 127/22 हीराराम बनाम राज. सरकार मे तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत ग्राम आसनपुरा के ख. नं. 550 व 1100/550 के मौके पर पहुंची। राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ख. नं. 550 रकबा 9.1550 है. की खातेदारी रामेश्वरी देवी पत्नी नाथूराम वगैरह की सहखातेदारी में व ख. नं. 1100/550 रकबा 0.0550 है. राजकीय खाते में गै. मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर पक्षकारान उपस्थित मिले, मौका स्थिति निम्न नजरी नक्शानुसार है :

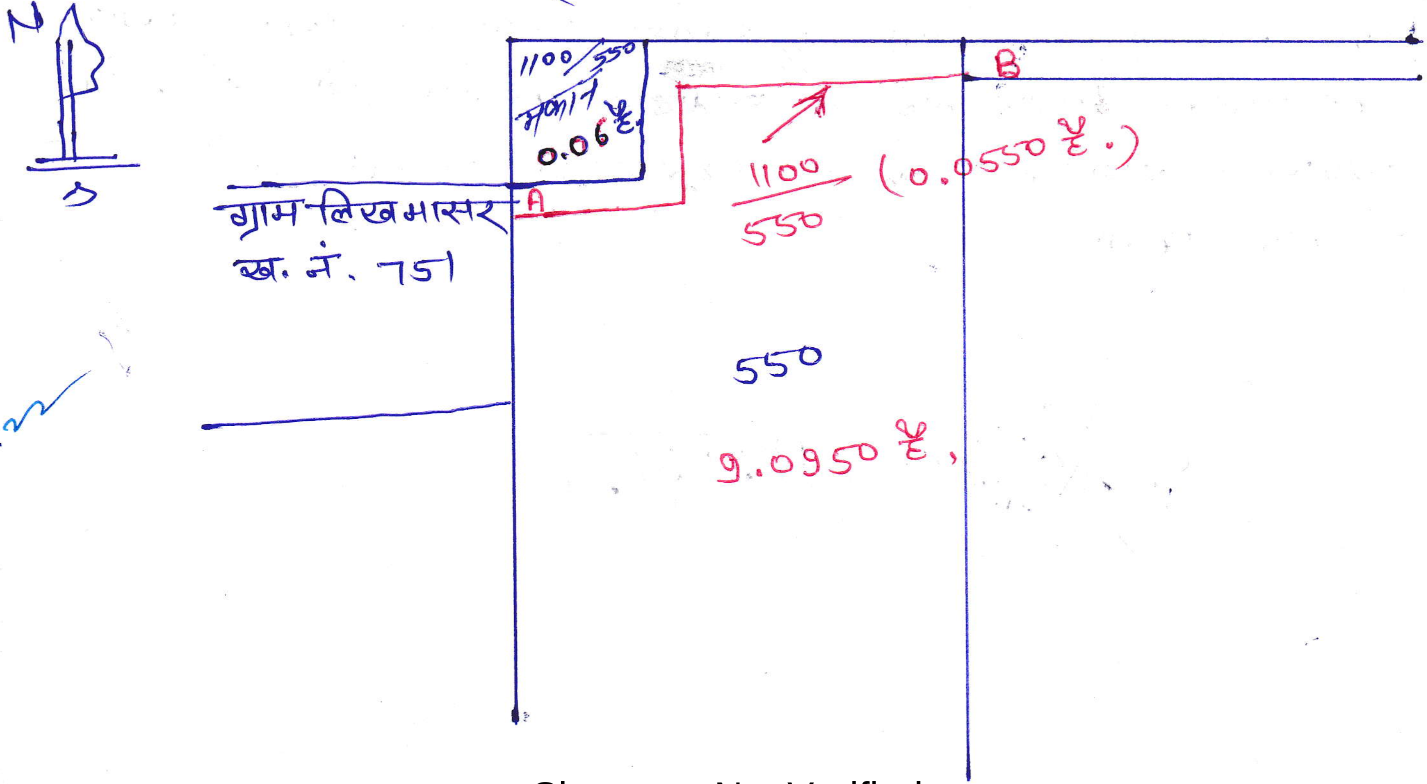

उपरोक्तानुसार बिन्दु सं. A [illegible] तक माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां [illegible] ए के तहत (मु. नं. 112/12 निर्णय दिनांक 25/03/2013) प्रार्थी [illegible]राम को ग्राम लिखमासर के ख. नं. 751 में आने जाने हेतु ग्राम आसनपुरा के ख. नं. 550 में से रकबा 0.0550 है. गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत आदेशित किया था। ग्राम आसनपुरा के नामा. संख्या 253 निर्णय दिनांक

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:18 IST
Reason: SelfAttested

17.04.2013 के द्वारा उक्त आदेश की पालना की गई थी।
न्यायालय आदेश मे ख.नं. 550 के उत्तरी पश्चिमी कोने में
अप्रार्थी का मकान होना दर्शाया गया है तथा मकान के सामने
से होते हुए रास्ता कायम करने बाबत् आदेशित किया गया था।
इस प्रकार नामा. दर्ज करते वक्त ख.नं. 550 के तीन नये नम्बर
(मूल नम्बर, रास्ते के नम्बर व मकान के स्थान के नम्बर)
कायम किये जाने थे लेकिन सहवन से दो ही ख.नं. कायम
किये गये। नामा. अनुसार ही नक्शा ट्रेस व ऑनलाइन नक्शे
मे तरमीम कर दी गई। मौका स्थिति व माननीय न्यायालय
आदेशानुसार बिन्दु A से B गै.मु.रास्ता रकबा 0.0550 है.
ख.नं. 550 के उत्तरी-पश्चिमी कोने (मकान का स्थान) का
रकबा 0.06 है. व शेष ख.नं. 550 का रकबा 9.0950 है.
कायम करते हुए तरमीम शुद्ध किया जाना उचित है। मौके
पर उपस्थित पक्षकारान के समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार
कर पढकर सुनाई गई व हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर
उपस्थित रामेश्वरी देवी व नाथूराम ने हस्ताक्षर करने से
इन्कार किया।

[signature] प.उ.ग.(?)   हीराराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:03:18 IST
Reason: SelfAttested